न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी –डॉ0सूरज सिंह नेगी

प्रार्थना पत्र संख्या 54/2021 तारीख रजू 05.04.2021

1. सरकार जरिये तहसीलदार (लैण्ड होल्डर) मलारना डूंगर ....प्रार्थी

बनाम

1. रजाक पुत्र उम्मेद जाति नाई निवासी बिलोली नदी तहसील मलारना डूंगर
2. जरीना पत्नी रजाक जाति नाई निवासी बिलोली नदी तहसील मलारना डूंगर

......अप्रार्थीगण

निर्णय दिनांक 17/7/23

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 14 (4) तहसीलदार (भू.अ.) मलारना डूंगर द्वारा आवंटन सलाहकार समिति द्वारा पारित आवंटन आदेश दिनांक 26.05.2000 के विरूद्व प्रस्तुत किया गया जिसके द्वारा अप्रार्थीगण रजाक पुत्र उम्मेद जाति नाई निवासी बिलोली नदी तहसील मलारना डूंगर एवं जरीना पत्नी रजाक जाति नाई निवासी बिलोली नदी तहसील मलारना डूंगर को आराजी खसरा नम्बर 386 रकबा 0.46, 389 रकबा 0.32 व 390 रकबा 0.45 साबिक ख0नं0 180 रकबा 5 बीघा वाके ग्राम बिलोली नदी में आदेश दिनांक 26/05/2000 द्वारा आवंटन किया गया था। अप्रार्थीगण को आवंटितशुदा खसरा नम्बर 386 रकबा 0.46, 389 रकबा 0.32 व 390 रकबा 0.45 साबिक ख0नं0 180 रकबा 5 बीघा पर भू.अ. निरीक्षक वृत चकबिलोली व पटवारी हल्का चकबिलोली की रिपोर्ट के अनुसार आवंटी का मौके पर कब्जा काश्त नहीं होने तथा आवंटन शर्तों की पालना नहीं किये जाने के कारण आवंटन को निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जरिये नोटिस की गयी। अप्रार्थीगण को जारी नोटिस बाद तामिल प्राप्त होने के पश्चात अप्रार्थीगण रजाक पुत्र उम्मेद जाति नाई निवासी बिलोली नदी तहसील मलारना डूंगर एवं जरीना पत्नी रजाक जाति नाई निवासी बिलोली नदी तहसील मलारना डूंगर की ओर से श्री आर.एस.जोगी एडवोकेट द्वारा वकालातनामा पेश किया गया। वकील अप्रार्थी को बहस हेतु काफी मौके दिये गये। बार–बार आवाज दिलाये जाने के उपरान्त भी वकील अप्रार्थीगण उपस्थित नहीं हुए और ना ही अप्रार्थीगण पेशी पर उपस्थित हुए। अतः अप्रार्थीगण के न्यायालय में नियत दिनांक को पर्याप्त मौके प्रदान करने के उपरान्त भी उपस्थित नहीं होने के कारण आदेशिका दिनांक 13/07/2023 के द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गई। अदालत मातहत से मूल पत्रावली प्राप्त। प्रार्थना पत्र पर पेरोकार सरकार की एकपक्षीय बहस सुनी गयी।

वकील पेरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर बहस में तर्क दिया कि अप्रार्थीगण को आवंटितशुदा भूमि खसरा नम्बर 386 रकबा 0.46,

अति. सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.08.04 12:08:15 IST
Reason: SelfAttested

389 रकबा 0.32 व 390 रकबा 0.45 साबिक ख0नं0 180 रकबा 5 बीघा पर भू.अ. निरीक्षक वृत चकबिलोली व पटवारी हल्का चकबिलोली की रिपोर्ट के अनुसार आवंटी का मौके पर कब्जा काश्त नहीं है तथा आवंटन शर्तों की पालना नहीं किया गया है। पुनःश्च पेरोकार सरकार ने अपनी बहस में तर्क दिया कि खसरा गिरदावरी सम्वत 2076 के अनुसार भूमि मौके पर पड़त पडी हुई है एवं खनन हो रहा है। जिससे यह साफ जाहिर होता है कि अप्रार्थीगण का आवंटितशुदा भूमि पर कब्जा नहीं है। अतः वकील पेरोकार सरकार द्वारा आवंटन सलाहकार समिति द्वारा पारित आवंटन आदेश दिनांक 26.05.2000 को निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया।

प्रकरण में पेरोकार राजस्व की एकपक्षीय बहस सुनी गई एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। तहसीलदार मलारना डूंगर से प्राप्त प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया जिसके अनुसार अप्रार्थीगण रजाक पुत्र उम्मेद जाति नाई निवासी बिलोली नदी तहसील मलारना डूंगर एवं जरीना पत्नी रजाक जाति नाई निवासी बिलोली नदी तहसील मलारना डूंगर को आराजी खसरा नम्बर 386 रकबा 0.46, 389 रकबा 0.32 व 390 रकबा 0.45 साबिक ख0नं0 180 रकबा 5 बीघा वाके ग्राम बिलोली नदी आवंटित किया गया था। भू.अ.निरीक्षक वृत चक बिलोली व पटवारी हल्का चक बिलोली की रिपोर्ट के अनुसार अप्रार्थीगण का मौके पर कब्जा काश्त नहीं है एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज खसरा गिरदावरी सम्वत 2076 के अनुसार भूमि मौके पर पड़त पडी हुई है तथा भू.अ.निरीक्षक वृत चक बिलोली व पटवारी हल्का चक बिलोली की रिपोर्ट के अनुसार भूमि पर मौके पर खनन हो रहा है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर आवंटी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं होना पाया जाता है। अतः तहसीलदार मलारना डूंगर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 14(4) स्वीकार योग्य पाया जाता है।

अतः अप्रार्थी द्वारा कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 की धारा 14 में वर्णित आवंटन शर्तों की पालना नहीं करने तथा अप्रार्थी का वर्तमान में आवंटित शुदा भूमि खसरा नम्बर 386 रकबा 0.46, 389 रकबा 0.32 व 390 रकबा 0.45 साबिक ख0नं0 180 रकबा 5 बीघा वाके ग्राम बिलोली नदी पर कब्जा नहीं होने के कारण कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 की धारा 14(4) के अन्तर्गत आवंटन आदेश दिनांक 26.05.2000 को निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार मलारना.डूंगर को आदेशित किया जाता है कि राजस्व ग्राम बिलोली नदी के आराजी ख0नं0 386 रकबा 0.46, 389 रकबा 0.32 व 390 रकबा 0.45 साबिक ख0नं0 180 रकबा 5 बीघा वाके ग्राम बिलोली नदी को राजस्व अभिलेख में सिवायचक दर्ज करे।

निर्णय आज दिनांक 17/7/23 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(डॉ0सूरज सिंह नेगी)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.08.04 12:08:15 IST
Reason: SelfAttested